03/7/25	पत्रावली वास्ते निगरानी पेश हुई। [illegible] उप. प्रार्थना पत्र प्रार्थी के आधार किया जाता है रिकॉर्ड निगरानी शामिल किया जाकर नकल दे जावे।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/329

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.04 14:02:34 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

किस्म मुकदमा :– 86 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या :– 165/2025(GCMS 2025/329)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एस.जी.आर.–बी के पत्थर नं. 16/311 के किला नं. 22–23 की 0.506 हैक्टर व पत्थर नं. 16/312 के किला नं. 2/1, 2/2, 3/1, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.871 हैक्टर अ0क0 रकबा मय रास्ता इन्द्र सिंह पुत्र उतमसिंह जाति रामगढ़िया साकिन संघर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। पटवारी दिनांक 19.05.2025 के संलग्न फर्द मौका दिनांक 17.05.2025 अनुसार मौका निरीक्षण भू.अ.निरीक्षक वृत रामसरा जाखड़ान एवं पटवारी के मौका निरीक्षण के दौरान काश्तकार अप्रार्थी इन्द्रसिंह द्वारा अपने खेत में 3 पेड़ शीशम, 2 पेड़ खेजड़ी एवं 01 किकर मौका पर काटी पाई गई। जिसे मौका पर जब्त कर श्री दलीप जांदू पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन संघर की सुपुर्दगी में आगामी आदेश तक दी गई तथा अपनी संरक्षा में रखने तथा खुर्द–बुर्द नही करने हेतु पांबद किया गया। अप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति तथा प्रक्रिया के मौका पर पेड़ काटकर विधि के सिद्धातों के विरूद्ध कार्य किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थी श्री अमित कुमार ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पेड़ नही काटे हैं। उक्त पेड़ आंधी आने के कारण स्वतः ही गिर गये थे। जिन्हे अप्रार्थी ने अपने जानमाल की सुरक्षा के लिहाज से अलग किया गया है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जावें। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। फर्द मौका दिनांक 17.05.2025 भू.अ.निरीक्षक रामसरा जाखड़ान तथा पटवारी हल्का संघर एवं काश्तकार इन्द्रसिंह, सतनाम सिंह, जसपाल तथा दलीप कुमार की उपस्थित में तथा की गई जांच में प्रार्थना पत्र में वर्णित पेड़ काटे हुए पाये गये है। जिन्हे मौका पर जब्त कर श्री दलीप जांदू पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन संघर को सुपुर्द किया गया। रिपोर्ट मौका अनुसार अप्रार्थी इन्द्रसिंह द्वारा बिना अनुमति पेड़ काटे जाने पर वे धारा 84–86 आरटीए के तहत दण्ड का भागी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 86 आरटीए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी इन्द्रसिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति रामगढ़िया साकिन संघर तहसील सूरतगढ़ द्वारा बिना अनुमति के जैर प्रकरण भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 7 एस.जी.आर.–बी के पत्थर नं. 16/311 के किला नं. 22–23 की 0.506 हैक्टर व पत्थर नं. 16/312 के किला नं. 2/1, 2/2, 3/1, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 2.871 हैक्टर अ0क0 रकबा मय रास्ता में से 3 पेड़ शीशम, 2 पेड़ खेजड़ी एवं 01 किकर के पेड़ बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के काटे जाने पर प्रति पेड़ [illegible] कुल 600/– रुपये का जुर्माना कायम किया जाता हैं। उक्त मांग वसूली [illegible]ए. के "घ" रजिस्टर में मांग का अंकन किया जाकर [illegible] 6 पेड़ों को निलाम कर फर्द निलामी वास्ते स्वीकृति [illegible] को लिखा जावें। तहरीर जारी हो। पत्रावली [illegible] हो। आदेश सुनाया गया। (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.04 14:02:34 IST
Reason: SelfAttested